न्यायालय : आशीष प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)

कमांक/ /2024 गुना, दिनांक 30.01.2024

– :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह फरवरी 2024 ::–

माह फरवरी 2024 के अधोलिखित सार्वजनिक अवकाशों में गुना जिला एवं आरोन्, राघौगढ, चांचौड़ा तहसील न्यायिक स्थापना पर अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रिमांड डयूटी नियत की जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निम्नानुसार सार्वजनिक अवकाश दिवस को **दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे** के मध्य रिमांड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

– ::जिला न्यायिक स्थापना–गुना ::–

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह फरवरी 2024
1	श्री मोहित श्रीवास्तव	**04-02-2024**
2	श्रीमती सरिता डाबर वास्कले	**17-02-2024**
3	श्री निशांत मिश्रा	**11-02-2024**
4	श्री सोनू जैन	**25-02-2024**
5	श्रीमती ऋचा द्विवेदी	**18-02-2024**
6	श्री अंकित भुजंग	**14-02-2024**

– ::तहसील न्यायिक स्थापना–राधौगढ ::–

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह फरवरी 2024
1	श्रीमती गुंजन शर्मा	**11-02-2024** **14-02-2024**
2	श्री हर्षवर्धन रावत	**25-02-2024**
3	श्री आशीष शर्मा	**17-02-2024** **18-02-2024**
4	श्री रवि तंवर	**04-02-2024**

– ::तहसील न्यायिक स्थापना–आरोन ::–

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह फरवरी 2024
1	सुश्री रेनू खेस	**04-02-2024** **14-02-2024** **25-02-2024**
2	श्री हीरालाल सिसौदिया	**11-02-2024** **17-02-2024** **18-02-2024**

– ::तहसील न्यायिक स्थापना–चांचौड़ा ::–

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह फरवरी 2024
1	श्री भारत सिंह कनेल	**04-02-2024** **11-02-2024**
2	श्रीमती आकांक्षा कत्याल	**17-02-2024** **18-02-2024**
3	सुश्री अंजना यादव	**25-02-2024**
4	सुश्री चेतना दशोरा	**14-02-2024**

सामान्य नोट–

1– माह **फरवरी 2024 के** उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त अन्य किसी दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड डयूटी हेतु नियुक्ति मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में गुना, राघौगढ, आरोन एवं चांचौड़ा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्युटी का निष्पादन **माह फरवरी 2024 में** क्रमशः **श्री अभिजीत सिंह वास्कले, सुश्री रेणू खेस, श्री आशीष शर्मा, सुश्री अंजना यादव** के द्वारा किया जावेगा।

3– उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड डयूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड डयूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

4– सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड डयूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5– सार्वजनिक अवकाश दिवस में रिमाण्ड डयूटी के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक कार्य का संपादन किया जाता है। अतः रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक कार्य हेतु गरिमा अनुरूप उचित गणवेश रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान धारित करेंगे।

6– समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफतारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड डयूटी हेतु नियत समय 03.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड डयूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपि़क से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड डयूटी करने वाले मजिस्टेट को अवगत कराना तथा रिमांड डयूटी करने वाले मजिस्टेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

नोट :– प्रशिक्षु न्यायाधीश श्री दिव्यांशु गुप्ता एवं सुश्री डिंपल चौधरी माह फरवरी 2024 में जिला न्यायिक स्थापना गुना में प्रत्येक माह के किन्ही भी तीन सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर रिमांड न्यायालय में उपस्थित रहकर संबंधित मजिस्ट्रेट से रिमांड संबंधी प्रशिक्षण लेंगे एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रशिक्षण समन्यवक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। संबंधित न्यायिक अधिकारी को अवगत कराया जावे।

विशेष :– **यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।**

(आशीष प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

पृ.क्र.:–   /2024 गुना, दिनांक

<u>प्रतिलिपि :–</u> (ईमेल–मेसेज द्वारा)

1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3- जिला/सहायक अभियोजन अधिकारी, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।

5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।

6- पुलिस अधीक्षक, गुना की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने बावत्।

7- जेल अधीक्षक जिला गुना, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

8- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई–मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने हेतु।

(आशीष प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)